

बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्र संख्या-3/कृ0 बजट आवंटन-44/2014-205 (आवंटन)/कृ0, पटना दिनांक 26-12-2014

प्रेषक,

रामजी सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

निदेशक,
बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी, पटना।

विषय :-

बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी को वित्तीय वर्ष 2014-15 में 339.00 लाख (तीन करोड़ उनचास लाख) रुपये सहायक अनुदान के लिए स्वीकृत योजना उद्ब्यय अन्तर्गत कुल 4.65 लाख (चार लाख पैंसठ हजार) रुपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप तत्काल व्यय हेतु ₹4,41,000 (चार लाख इकतालिस हजार रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या -5753, दिनांक -19.12.2014 द्वारा बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी को वित्तीय वर्ष 2014-15 में 339.00 लाख (तीन करोड़ उनचास लाख) रुपये सहायक अनुदान के लिए स्वीकृत योजना उद्ब्यय अन्तर्गत कुल 4.65 लाख (चार लाख पैंसठ हजार) रुपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। स्वीकृति के फलस्वरूप तत्काल व्यय हेतु कुल ₹4,41,000 (चार लाख इकतालिस हजार रुपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त ₹4,41,000 (चार लाख इकतालिस हजार रुपये) मात्र का व्यय मुख्य शीर्ष- 2435 -अन्य कृषि कार्यक्रम - उप मुख्यशीर्ष-01- विपणन तथा गुणवत्ता नियंत्रण - लघु शीर्ष- 796-जन जातिय क्षेत्र उप योजना - मांग संख्या-1 उपशीर्ष-0102-बीज प्रमाणन एजेन्सी विपत्र कोड- P2435017960102 राज्य योजना स्कीम कोड -AGR-5044 विषय शीर्ष-3104 सहायक अनुदान वेतन के अधीन वित्तीय वर्ष 2014-15 में उपबंधित राशि ₹4,41,000 (चार लाख इकतालिस हजार रुपये) मात्र से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि0 (2) दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक -6720 दिनांक 25.07.2014 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश, में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरंत बाद टी0भी0न0 के साथ व्यय विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाए।

विश्वासभाजन,

(रामजी सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

/कृ0, पटना, दिनांक 26-12-2014

ज्ञापांक

प्रतिलिपि :

2.

205 (आवंटन)

महालेखाकार बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

(रामजी सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :-

205 (आवृत्त)

/कृ०, पटना दिनांक 26-12-2014

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग, बिहार पटना/कृषि निदेशक बिहार, पटना/निदेशक उद्यान, बिहार पटना/निदेशक,(पी०पी०एम)/निदेशक भूमि संरक्षण /मिशन निदेशक, राज्य बागवानी मिशन/निदेशक, बामेति, बिहार पटना/संयुक्त कृषि निदेशक,(योजना)बिहार पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक/उप कृषि निदेशक (बीज निदेशक) बिहार, पटना/उप कृषि निदेशक (बीज विश्लेषण)बिहार, पटना/सभी संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी /प्रशाखा पदाधिकारी (सचिवालय निदेशालय),कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

2. उप कृषि निदेशक,(सूचना), बिहार, पटना/आई०टी० प्रबंधक, कृषि विभाग बिहार पटना को विभागीय वेबसाइट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

(15/12/14)

सरकार के संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।